

पांच केन्द्रीय ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध विभिन्न यूनियन: INTUC, AITUC, BMS, HMS, CITU जो कि कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों और SCCL में कार्यशील हैं, ने अपनी मांगों को लेकर 17 दिसंबर को 6 जनवरी, 2015 से 10 जनवरी 2015 तक पांच दिवसीय हड़ताल पर जाने की सूचना दी थी.

उसमें मुख्य रूप से इनका विरोध निम्नलिखित बातों को लेकर था:

- i) Coal Mines (Special Provision) बिल-2014
अध्यादेश की पुनः घोषणा के द्वारा निजी कंपनियों को commercial coal mining में अनुमति
- ii) कोल इंडिया में आगे विनिवेश और
- iii) कोल इंडिया में किसी भी प्रकार का पुनर्गठन

कोयला क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों ने निजी कंपनियों के लिए कोयला ब्लॉक्स के e-auction और उन्हें खुले बाजार में कोयला खरीदने की अनुमति जैसे प्रावधानों के विरोध में थी. उनका आरोप था कि यह कदम कोल इंडस्ट्री के निजीकरण के सामान है जिससे कोयला वर्कर्स और इंडस्ट्री को सम्पूर्ण रूप से नुकसान होगा. यूनियनों की मांग थी कि उन प्रावधान को समाप्त किया जाए जो कि देश में निजी कंपनियों को कोयला माइनिंग में ऑपरेशन की किसी भी रूप में अनुमति देती है. उन्होंने ये भी मांग रखी थी कि वे सभी 204 कोयला खदानों जिनका कि आबंटन पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द हुआ है कोल इंडिया को दे दी जाए ।

माननीय मंत्री ने विस्तार पूर्व इन मुद्दों की व्याख्या की । उन्होंने कहा कि इस अधिनियम/अध्यादेश की मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में कोयले का खदानों में जितने कामगार हैं, उनका प्रोटेक्शन हो। ये खदानें बन्द न होने पाएं, इन खदानों के चालू रहने से उनकी नौकरियां न खराब हों।

आज भी लाखों-करोड़ों रुपये का कोयला विदेश से आता है जबकि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था। कई वर्षों से एक-डेढ़ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो रही थी, उस परिस्थिति में कोयले की खदानें चलती रहें, नौकरियां बचें और देश में बिजली की कटौती न हो, इसके लिए यह अध्यादेश लाना बहुत जरूरी था।

सरकार की भूमिका इस अध्यादेश को लाने में और इस बिल को पेश करने में, कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन की पूरी प्रोसेस में पारदर्शिता लाने की है। उस पारदर्शिता को लाने के लिए इसमें बहुत से कदम उठाए गए हैं।

संक्षेप में इस अध्यादेश से निम्नलिखित फायदे होंगे :-

- यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालय द्वारा आबंटन रद्द करने के बाद की अनिश्चितता को दूर कर कोयला आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा
- कोल इंडिया के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा
- राज्य और PSUs जो कि विद्युत्, सीमेंट और स्टील सेक्टर के वास्तविक उपभोगकर्ता हैं, [इस कोल ब्लाक आबंटन के द्वारा] उनके हितों की रक्षा होगी
- नीलामी / आबंटन का प्राथमिक चरण 4-5 महीनों में पूरा हो जायेगा, जिससे विद्युत्, सीमेंट और स्टील के उत्पादन में वृद्धि होगी
- और आधारभूत संरचना क्षेत्र को बल मिलेगा, सभी को विद्युत् की आपूर्ति होगी, उत्पादन क्षेत्र और make in India प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा
- खदानों की नीलामी से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व कोयला खदान वाले राज्यों को मिलेगा जो कि मुख्यता पूर्वी भाग में स्थित हैं
- इसके द्वारा झारखण्ड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के राजस्व को सुदृढ़ करने में सहायक होगा
- यह (प्रस्तावित प्रावधान) कोयले की काला बाजारी को समाप्त कर देगा
- यह छोटे brick & refractory उत्पादकों, छोटे स्टील और पेपर प्लांट्स, SSI/MSME इकाइयों को आपूर्ति सुनिश्चित करेगा जो कि अक्सर इन कठिनाइयों को झेलते हैं
- इसके अतिरिक्त आयातित कोयले की जगह घरेलू कोयले के प्रयोग के परिणाम स्वरूप यह विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायक होगा
- और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा और रोजगार सृजन को प्रेरित करेगा और Make in India कार्यक्रम को सफल बनाएगा
- इस अध्यादेश के माध्यम से बंद पड़े पाँवर और स्टील प्रोजेक्ट फिर से चल पड़ेंगे, बैंक कैपिटल के रास्ते खुलेंगे, NPAs में कमी आएगी
- माननीय मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि एक वर्ष के अंदर सब श्रमिक आवासों की मरम्मत की जाएगी और उच्च स्तर के शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

रद्द किए गये सभी ब्लॉक्स निशुल्क दिए गए थे। निशुल्क देने से एक तरीके से इंट्रेस्ट क्रिएट हुआ और एक विन्ड-फाल प्रॉफिट कमाने का उनको साधन मिला। उस साधन को इस बिल के द्वारा समाप्त किया है। अब से जो खदानें सरकारी कंपनियों को दी जाएंगी, उनके लिए एक रिजर्व प्राइस होगा। अगर खदान पब्लिक में ऑक्शन होगी, जिसे ई-ऑक्शन के द्वारा किया जाएगा, तो वह पैसा अधिकतर राज्य सरकारों के पास जाएगा और बाकी बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को पास-ऑन होंगे।

ई-ऑक्शन की जो प्रोसेस डिवाइज की गयी है, उसमें बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन कीमतें घटने का प्रोसेस हमने तैयार किया है।

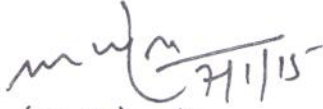
साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ, लेबर की जॉब न जाए, उसकी निरंतरता के लिए यह प्रावधान, जल्दी से आर्डिनैस और बिल के रूप में लाए, जिससे यह व्यवस्था हो सके कि यह माइन्स 31 मार्च के बाद भी चलती रहें।

एक भ्रांति यह फैलाई जा रही थी कि सीआईएल को डि-नेशनलाइज किया जा रहा है। माननीय मंत्री ने कहा कि इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कोई भी वस्तु सरकारी स्वामित्व से प्राइवेट हाथों में देने की बात हो। कोल-इंडिया लिमिटेड को पूरे तरीके से संरक्षण दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड, गत चार-पांच वर्षों में मात्र एक-डेढ़ प्रतिशत प्रोडक्शन बढ़ाता रहा है, लेकिन हमारी सरकार के जून में आने के बाद, कोल-इंडिया का प्रोडक्शन, जून-अक्टूबर के बीच साढ़े-सात प्रतिशत बढ़ा है, सप्लाई साढ़े-आठ प्रतिशत बढ़ी है और कोयले से बिजली का उत्पादन, जून-जुलाई-अगस्त में 21 प्रतिशत बढ़ा, जिसने इस देश में इतिहास रचा है। जून से अक्टूबर तक देखें तो 15 प्रतिशत से अधिक कोयले से बिजली का उत्पादन हुआ है। अगर किसी के भी मन में डि-नेशनलाइजेशन की कोई भी कल्पना है तो उसे निकाल दीजिए।

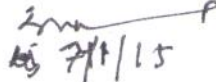
मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार कोल-इंडिया को और मजबूत करना चाहती है। कोल इंडिया अकेले एक बिलियन टन कोयला बना सकता है। कोल इंडिया में इतनी ताकत है, वह इतना सक्षम है। सरकार को पूरा विश्वास है कोल इंडिया के कर्मचारियों पर, उनकी काबिलियत पर और जो गत वर्षों में कमी रही है, कोल प्रोडक्शन का बढ़ा कर हम अगले चार-साढ़े चार वर्षों में उसको पूरा करेंगे।

सर्व-सहमति से निम्नलिखित निर्णय लिये गए :

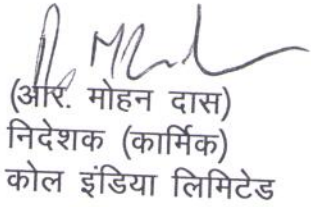
1. पांचों केन्द्रीय श्रमिक संगठनों और कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलिरिज कंपनी लिमिटेड की सदस्यतावाली एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव करेंगे। यह समिति श्रमिक संगठनों के द्वारा हड़ताल नोटिस की मांगों पर और विस्तार से चर्चा करेगी और समिति अपनी अनुशंसा/सिफारिश सरकार को शीघ्र ही देगी।
2. माननीय कोयला मंत्री के द्वारा बैठक के दौरान दिये गये स्पष्टीकरण एवम लोक सभा में दिए गए वक्तव्य के प्रकाश में पांचों श्रमिक संगठनों ने हड़ताल वापस लेना का निर्णय लिया है।
3. श्रमिक संगठनों ने यह भी वायदा किया है कि हड़ताल के दौरान हुए उत्पादन के नुकसान की क्षतिपूर्ति करेंगे।
4. अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड ने यह आशवासन दिया है कि किसी भी श्रमिक के विरुद्ध द्वेषपूर्ण कार्यवाही नहीं की जायेगी।
5. श्रमिक संगठनों ने इस बैठक की अगवाई करने के लिए माननीय कोयला मंत्री का धन्यवाद दिया और माननीय कोयला मंत्री ने सभी संगठनों के द्वारा सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में चर्चा एवं विषय का समाधान निकालने के लिए धन्यवाद दिया।

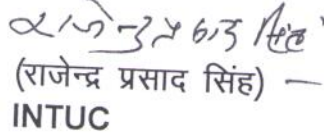

7/1/15

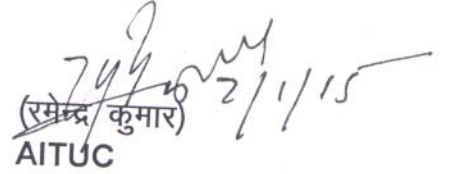
(डा. ए.के. दूबे)
अतिरिक्त सचिव
कोयला मंत्रालय

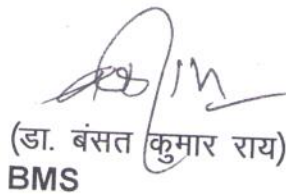

7/1/15

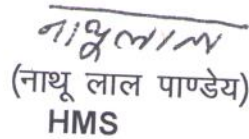
(एस. भट्टाचार्य)
अध्यक्ष
कोल इंडिया लिमिटेड

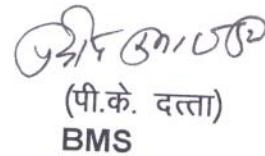

(अर. मोहन दास)
निदेशक (कार्मिक)
कोल इंडिया लिमिटेड

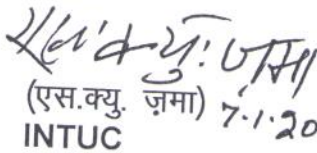

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह) —
INTUC


(रमेश कुमार)
AITUC

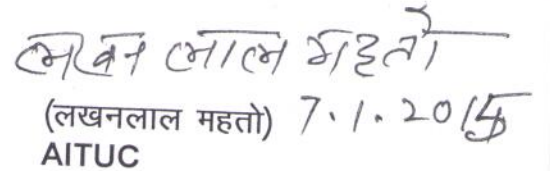

(डा. बंसत कुमार राय)
BMS


(नाथू लाल पाण्डेय)
HMS


(पी.के. दत्ता)
BMS


(एस.क्यू. ज़मा)
INTUC


(डी.डी. रामानन्दन)
CITU


(लखनलाल महतो)
AITUC

दिनांक : 7.1.2015

स्थान : नई दिल्ली